



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20-09-2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 277/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद मे अपराधो की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 277/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध मे थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विलाल पुत्र अलीयार निवासी ग्राम बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त विलाल का आपराधिक इतिहास-

1-मु०अ०सं० 561/05 धारा 3/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता अधि० थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु०अ०सं० 1569/05 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3- मु०अ०सं० 96/06 धारा 3/5/8 गौवध अधि० व 3/11 पशु क्रूरता अधि० थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4- मु०अ०सं० 169/06 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

5- मु०अ०सं० 335/10 धारा 8/15 NDPS ACT थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

- 6- मु0अ0सं0 417/10 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 7- मु0अ0सं0 464/10 धारा 3 युपी गुण्डा अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 8- मु0अ0सं0 368/13 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 9- मु0अ0सं0 81/15 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 10- मु0अ0सं0 09/2020 धारा 3/8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 11- मु0अ0सं0 27/2020 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 12- मु0अ0सं0 237/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 13- मु0अ0सं0 234/21 धारा 379 भादवि व 3/5/8 गौ वध अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 14- मु0अ0सं0 277/22 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट अधि0 थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- व0उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह चौहान सिंह थाना सिंघावली अहीर ।
- 2- उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना सिंघावली अहीर ।
- 3- का0 48 आकाश कुमार थाना सिंघावली अहीर ।
- 4- का0 357 अनुज शर्मा थाना सिंघावली अहीर ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20-09-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-रोकी उर्फ राकेश पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम अहेडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री राममूर्ती शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 89 संजय कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 20-09-2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 416/22 धारा 336/420 भादवि व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, 10 कट्टे पटाखा, 70 कि०ग्रा० अवैध विस्फोटक सामग्री, एक मो०सा० तथा तस्करी में प्रयुक्त एक श्री व्हीलर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 416/22 धारा 336/420 भादवि व 5/9बी विस्फोटक अधिनियम से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । 10 कट्टे पटाखा, 70 कि०ग्रा० अवैध विस्फोटक सामग्री, एक मो०सा० हीरो होण्डा स्प्लेण्डर नं० UP-14H-6346 तथा तस्करी में प्रयुक्त एक श्री व्हीलर नं० UP-17AT-2385 बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-दिनेश पुत्र जगदीश निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 10 कट्टे पटाखा ।
- 70 कि०ग्रा० अवैध विस्फोटक सामग्री
- तस्करी में प्रयुक्त एक श्री व्हीलर नं० UP-17AT-2385
- एक मो०सा० हीरो होण्डा स्पलेण्डर नं० UP-14H-6346

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० श्री मनोज कुमार ।
2. उ०नि० श्री वृक्षपाल सिंह ।
- 3.उ०नि० श्री मयंक प्रताप सिंह ।
4. का० 427 अरूण भाटी ।
- 5.का० 164 नितिन कुमार ।
6. का० 701 शौकीन्द्र ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 अर्धधु अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 अर्धधु अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-महेन्द्र पुत्र जयपाल निवासी ग्राम पावला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 24 अध्धा देशी शराब सन्तरा हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-श्री अजय कुमार आबकारी निरीक्षक बागपत ।
- 2-श्री दिनेश कुमार प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र-1 बागपत ।
- 3-अश्वनी कुमार प्रधान आबकारी सिपाही क्षेत्र-1 बागपत ।
- 4-का0 846 नरेन्द्र थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 910/22 धारा 147/148/307/427/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.09.2022 को थाना कोतवाली बागपत पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि शौकत मार्केट में कुछ व्यक्तियों द्वारा कार सवार 04 युवकों के साथ गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से मारपीट की जा रही है तथा उनकी कार में भी तोडफोड कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा



मौके पर पहुंच कर देखा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा एक डस्टर कार नम्बर DL-8CZ-3855 में बैठे 4 युवकों के साथ जान से मारने की नियत से मारपीट की जा रही है। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में मौके से 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 910/22 धारा 147/148/307/427/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 910/22 धारा 147/148/307/427/504 भादवि व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मुस्तकीम पुत्र इस्लाम निवासी पुराना कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-समीर पुत्र अफाक निवासी मौ0 गायत्री पुरम कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-समीर पुत्र सलीम निवासी मौ0 गायत्री पुरम कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 4-समीर पुत्र कासिम निवासी माता कालोनी कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 479 कुलदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-हो0गा0 361 राजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।